26

पर्यावरणीय कानून के सामान्य सिद्धांत

पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा है क्योंकि यह सभी देशों से संबंधित हा जहां देश किसी भी आकार, स्तर, विकासव या विचारधारा से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है और अंतत: यह विश्व के पर्यावरणीय तंत्र (ecosystem) में परिवर्तन कर रहा है।

पर्यावरणीय तंत्र और अर्थव्यवस्था तथा उसकी धारणीयता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से पर्यावरणीय काननू के विकास पर दो मुख्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। पहला, स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 जिसे ''अर्थ समिट'' के नाम से जाना जाता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन धारणीय विकास पर 'आर-10 सम्मेलन' था जो आर-10 घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। ''आर-10 सम्मेलन'' का मुख्य उद्देश्य पारितंत्र और अर्थव्यवस्था और उसकी धारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना था।

भारत में, जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वनों व वन्यजीवन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। ये कानून हैं : जल प्रदूषण अधिनियम, 1971; वायु प्रदूषण अधिनियम, 1971 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ।

वैश्विक पर्यावरणीय संकट ने आधुनिकता और उसके मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मनुष्य और अन्य प्रकार के जीवन के अस्तित्व का मुद्दा अत्यंत चिंता का विषय बन गया है। मौलिक पर्यावरणीय सिद्धांत जो श्पर्यावरण के आशीर्वादों का लाभ वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो और यह भावी पीढियों तक भी पहुंचे'' के सिद्धांत का अनुसरण करता है, एक धारणीय समाज का सृजन किया जाना चाहिए जहां मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरणीय दबाव को न्यूनतम किया जाए।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप :

- 'पर्यावरण' के अर्थ को जान पाएंगे;
- 'प्रदूषण के अर्थ' को समझ पाएंगे;

- 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का वर्णन कर पाएंगे;
- जल प्रदूषण अधिनियम, 1971 के मुख्य प्रावधानों की सूची बना पाएंगे;
- वायु प्रदूषण अधिनियम, 1971 के मुख्य प्रावधानों की सूची बना पाएंगे;
- पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, 1986 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कर पाएंगे;
- 'दोहरे दायित्व' के अर्थ को समझ पाएंगे;
- पूर्वोपाय सिद्धांत को परिभाषित कर पाएंगे।
- धर्मार्थ न्यास सिद्धांत की अवधारण का वर्णन कर पाएंगे; और
- 'धर्मार्थ न्यास सिद्धांत' का वर्णन कर पाएंगे।

26.1 पर्यावरण

शब्द 'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतर संबंध के कुल योग से है। शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण, "हमारे आसपास की कोई भी और हर कोई वस्तु पर्यावरण है"।

प्रदूषण

प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण में संदूषणों का समावेशन है जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन प्रस्तुत करता है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, **एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ** (एआईआर 2000 एससी 1997) के मामले में प्रदूषण एक गलत नागरिक प्रक्रिया है, जो अपनी स्वयं की प्रकृति में समग्र रूप से समुदाय के विरूद्ध अपराध स्वरूप है। इसलिए, वह व्यक्ति जो प्रदूषण उत्पन्न करने का दोषी है, उसे पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को हुई क्षति को बहाल करने के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

पाठगत प्रश्न 26.1

1. 'पर्यावरण' को परिभाषित करें।
2. क्या आप 'प्रदूषण' शब्द के अर्थ को जानते हैं?

26.3 प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत

पर्यावरणीय कानून में, ''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए किया गया था।

साधारण शब्दों में श्प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।''

उदाहरण के लिए, अपनी गतिविधियों के उपोत्पादन के रूप में संभावित विशैले पदार्थो का उत्पादन करनेवाले एक ैक्टरी, इस विषैले पदार्थ के सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगी।

''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' को श्विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व'' भी कहा जाता है। यही वह अवधारणा है जिसे 1990 में स्विडिश सरकार के लिए थॉमस लिंडक्विस्ट द्वारा संभवत् पहली बार वर्णन किया गया था।

''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' का पहली बार प्रचार किए जाने का श्रेय **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)** को जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को इस प्रकार परिभाषित करता है : ''एक अवधारणाजहां उत्पादों के विनिर्माता और आयातकर्ता'' उत्पाद के सम्पूर्ण जीवन-चक्र के दौरान अपने उत्पादों के पर्यावरणीयप्रभावों के लिए व्यापक स्तर तक उत्तरदायित्व को वहन करेंगे और उत्पादों के जीवन-चक्र में उत्पादों के लिए सामग्रियों के चयन में पड़ने वाले अपस्ट्रीम प्रभाव, विनिर्माता की विनिर्माण प्रक्रिया से प्रभाव, और उत्पादों के प्रयोग और निपटान से अनुप्रवाह प्रभाव।

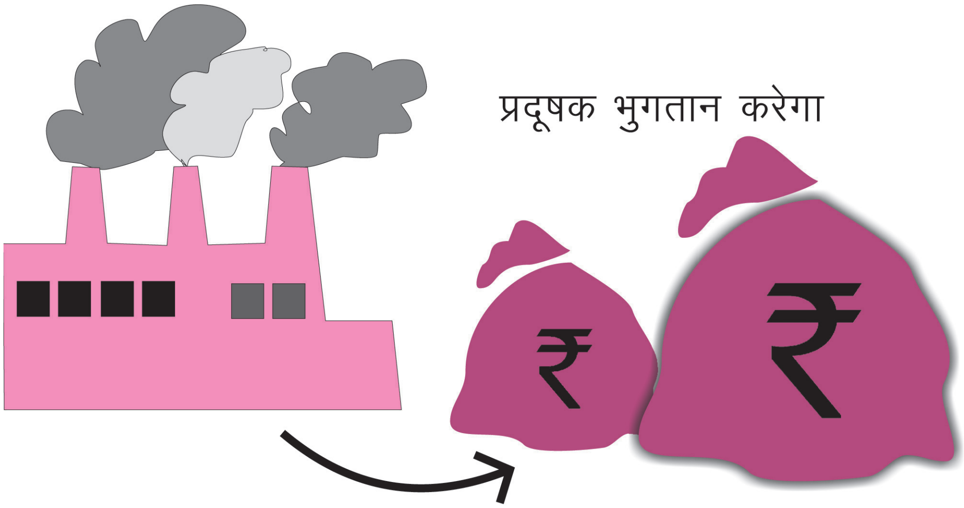

चित्र 1: प्रदूषक भुगतान करेगा

भारत के उच्च्तम न्यायालय ने **'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'** की व्याख्या इस प्रकार की है- पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए निरपेक्ष दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है जो न केवल प्रदूषण के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के स्तर तक सीमित है बल्कि पर्यावरण की निम्नीकरण की बहाली की लागत भी शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 सुस्पष्ट रूप से सरकार को "सभी ऐसे उपायों को करने, की शक्ति प्रदान करता है जो पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण या सुधार के प्रयोज ने आवश्यक या उचित समझा जाए।"

इस प्रकार, इसमें पर्यावरणीय लागत के साथ साथ लोगों या सम्पति को होने वाली प्रत्यक्ष हानि की लागत भी शामिल है। इस प्रकार, इसका अर्थ है कि प्रदूषक द्वारा प्रदूषण की लागत को वहन करना होगा क्योंकि प्रदूषक उसके लिए उत्तरदायी है।

'प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत' को **यूरोपीय समुदाय संधि** में शामिल किया गया है। संधि के नियम 2 के अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि पर्यावरणीय विवेचन को समुदाय की सभी नीतियों का के भाग के रूप में कार्य करेंगे और इस कार्य को तीन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:

i. निवारक कार्रवाई की आवश्यकता;

ii. स्रोत पर ही पर्यावरणीय क्षति को ठीक किए जाने की आवश्यकता;

iii. प्रदूषक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को **रियो घोषणा** 1992 में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया था। घोषणा का सिद्धांत 16 घोषणा करता है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित किए बिना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कि प्रदूषक प्रदूषण की लागत को वहन करेगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण पर्यावरणीय लागतों के अंतरराष्ट्रीयकरण के संवर्धन और आर्थिक साधनों के प्रयोग के संबंध में प्रयास करेंगे।

पाठगत प्रश्न 26.2

1. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' का वर्णन करें?
2. रियो घोषणा 1992 के सिद्धांत 16 की चर्चा करें।

26.3 दोहरा दायित्व

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरा दायित्व डालता है अर्थात :

(i) प्रदूषण के पीड़ित को क्षतिपूर्ति; और

(ii) पर्यावरणीय परावर्तन

किन्तु प्रदूषण पर इसके विभिन्न प्रभावों के बावजूद 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' की विचारधारा इस रूप में सीमित है कि इसका प्रयोग केवल निवारक स्तर पर किया जा सकता है अर्थात प्रदूषण हो जाने के पश्चात ही। इसका अर्थ है कि 'एक व्यक्ति प्रदूषण कर सकता है और उसके बाद उसके लिए भुगतान कर दे।'

पाठगत प्रश्न 26.3

1. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरे दायित्व स्थापित करता है।
(सही/गलत)

2. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' केवल प्रदूषण हो जाने के पश्चात ही लागू होता है। (सही/गलत)

26.4 पूर्वोपाय सिद्धांत

'पूर्वोपाय सिद्धांत' यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि कोई विकास प्रक्रिया धारणीय है या नहीं। पूर्वोपाय सिद्धांत धारणीय विकास का अधार प्रस्तुत करता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि विकासात्मक गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए यदि ये पर्यावरण के लिए गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षतियां उत्पन्न करती हैं।

पर्यावरण सुरक्षा

चित्र 2: पर्यावरण को संरक्षित रखें

पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंग कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।

विज्ञान की अपर्याप्ता ही पूर्वोपाय सिद्धांत की उत्पत्ति का वास्तविक आधार है।यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि सावधानी और पर्यावरणीय निवारण क्षति की ओर रहना बेहतर होता जो अंतत् अपरिवर्तित हो जाता है।

पूर्वोपाय सिद्धांत को 1992 में रियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। **'रियो घोषणा' के सिद्धांत 15 में कहा गया है कि :**

''पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, राष्ट्रों को अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यापक स्तर पर पूर्वोपाय के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जहां खतरे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय निम्नीकरण के समान गंभीर हों।''

भारत के उच्चतम न्यायालय ने वेल्लूर नागरिक फोरम बनाम भारत सां के मामले में निर्णय दिया है कि पूर्वोपाय सिद्धांत देश में पर्यावरणीय कानून का एक भाग हैं।

पूर्वोपाय सिद्धांत (Precautionary Principle)

पूर्वोपाय सिद्धांत के अनिवार्य तत्व हैं :

- राज्य सरकार तथा सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरणीय उपाय जैसे राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण (Environment degradation) के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए तथा उन्हें समाप्त करना चाहिए।
- जहां पर्यावरण को गंभीर तथा अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो वहां विज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीलय निम्नीकरण के निवारण के उपायों को लंबित किए जाने का कारण नहीं बनाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 26.4

1. 'पूर्वोपाय सिद्धांत' को परिभाषित करें।
2. पूर्वोपाय सिद्धांत के दो अनिवार्य तत्वों की पहचान करें।

26.5 लोक न्यास (Public Trust) का सिद्धांत

'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

प्राचीन रोम साम्राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत को विकसित किया था : **''लोक न्यास का सिद्धांत''**, जिसका प्रतिपादन इस विचारधारा के साथ किया गया था कि कुछ सामान्य परिसंपत्तियां जैसे नदियों, समुद्रतटों, वनों और वायुक्षेत्र सरकार के अधिकारक्षेत्र में रहेंगी जो कि जन-साधारण मे निशुल्क और अप्रतिबंधित प्रयोग के लिए होंगी।

लोक न्यास सिद्धांत मूल रूप से इस अवधारण पर आधारित है कि कतिपय संसाधन जैसे वायु, समुद्र जल तथा वनों को समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिक महत्व है कि उसे निजी स्वामित्व में दिया जाना पूर्णत अन्यायसंगत होगा। ये संसाधन प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं और इन्हें सभी लोगों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए चहे वे लोग जीवन के इसी भी स्तर के क्यों न हों। यह सिद्धांत सरकार के लिए यह अपेक्षित बनाता है कि वह इन संसाधनों को जन-साधारण के मनोरंजन व उपयोग के लिए संरक्षित रखे न कि निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के प्रयोग की अनुमति प्रदान करे।

राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का ''ट्रस्टी(न्यासी)'' है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर समुद्र-तटों, बहते हुए पानी, वायु, वन तथा पर्यावरणीय रूप से भंगुर भूमियां जनसाधारण के लाभ के लिए हैं। जन उपयोग के लिए निर्धारित इन संसाधनों को निजी स्वामित्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चूंकि नदियां, वन, खनिज और ऐसे अन्य संसाधन राष्ट्र की प्राकृति संपदा का भाग है, इसलिए इन संसाधनों को एक ही पीढ़ी द्वारा गवांया या दोहन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पीढ़ी सभी आगामी

पीढ़ियों को यह दायित्व सौंपती है कि वह यथासंभव सर्वोत्तम रूप से राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों को विकसित और संरक्षित करे। यह राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के हित में भी है। इसप्रकार, लोक-न्यास का सिद्धांत देश के कानून का एक भाग है। न्यायालय भी यह कहता है कि भारत में सभी पर्यावरणीय प्रणालियों में लोक-न्यास के सिद्धांत के अनुप्रयोग को खारिज करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

इस सिद्धांत का उल्लेख पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में ''लोक-न्यास सिद्धांत'' को लागू करते समय किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि लोक-न्यास का सिद्धांत मौलिक रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि कतिपय संसाधन जैसे वायु, समुद्र जल तथा वनों को समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिक महत्व है कि उसे निजी स्वामित्व में दिया जाना पूर्णत अन्यायपूर्ण होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पार्कों के उचित अनुरक्षण के लिए ''ट्रस्टी'' के रूप में महापालिका को इन संपत्तियों की व्यवस्था में अधिक सावधान रहना चाहिए। अपने ऐतिहासिक महत्व और पर्यावरणीय आवश्यकता के कारण उद्यानों (पार्कों) का उनुरक्षण स्वयं लोक-हित के लिए आवयश्क है। यदि उद्यानों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट किया जाता है तो यह लोक-न्यास सिद्धांत का उल्लांन होगा।

लोक न्यास सिद्धांत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

यह सिद्धांत राज्य पर तीन प्रकार के प्रतिबंध लगाता है :

- सम्पत्ति न केवल जन प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए बल्कियह जन-साधारण के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए।
- सम्पति को बेचा नहीं जाना चाहिए चाहे उसका उचित मूल्य ही प्राप्त क्यों न हो रहा हो।
- सम्पति का अनुरक्षण विशिष्ट प्रकार के प्रयोजनों के लिए होना चाहिए जैसे जल पर्यटन, मनोरंजन या मछली पकड़ना आदि।

अन्तत् इस सिद्धांत के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क के अंतर्गत एक 'ट्रस्टी' के रूप में राज्य का यह दायित्व है कि वह देश के पर्यावरण के संरक्षित रखे उसमें सुधार करे और वनों व वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क (जीवन का अधिकार) को लागू करते समय, राष्ट्र राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48क का संदर्भ लेने के लिए बाध्य है। ''एक स्वस्थ पर्यावरण'' के अधिकार को शामिल करने के लिए राज्य की न्यासधारिता (trusteeship) दायित्वों का विस्तार किया गया है।

पाठगत प्रश्न 26.5

1. "लोक-न्यास सिद्धांत अवधारणा" को परिभाषित करें।
2. लोक-न्यास सिद्धांत द्वारा राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों की सूची।

आपने क्या सीखा

पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक मुद्दा है क्यों कि यह सभी देशों से संबंधित हा जहां देश किसी भी आकार, स्तर, विकास या विचारधारा से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। मनुष्य और अन्य प्रकार के जीवन के अस्तित्व का मुद्दा अत्यंत चिंता का विषय बन गया है।

'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतरसंबंध के कुल योग से है।

प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण में संदूषणों का समावेशन है जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन प्रस्तुत करता है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भूगतान करने के लिए किया गया था। प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।

'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषक पर दोहरा दायित्व डालता है अर्थात : (i) प्रदूषण के पीड़ित को क्षतिपूर्ति और (ii) पर्यावरणीय परावर्तन। इसे ''दोहरा दायित्व'' कहते हैं।

पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंगे कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।

'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का ''ट्रस्टी(न्यासी)'' है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं।

पाठांत प्रश्न

1 निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें।

(क) पर्यावरण

(ख) प्रदूषण

2. ''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' का वर्णन करें।

3. आर-10 घोषणा, 1992 के सिद्धांत 16 का उल्लेख करें।
4. पूर्वोपाय सिद्धांत को परिभाषित करें।
5. ''प्रदूषक भुगतान सिद्धांत'' में 'दोहरा दायित्व' क्या है?
6. पूर्वोपाय सिद्धांत के मुख्य तत्वों का वर्णन करें।
7. लोक-न्यास सिद्धांत का वर्णन करें।
8. 'लोक-न्यास सिद्धांत' द्वारा राज्य पर लगाए गए तीन प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

1. शब्द 'पर्यावरण' से तात्पर्य जल, वायु तथा भूमि और इनके व मनुष्य, अन्य जीवों तथा पदार्थों के बीच के अंतरसंबंध के कुल योग से है।
2. प्रदूषण एक गलत नागरिक प्रक्रिया है, जो अपनी स्वयं की प्रकृति में समग्र रूप से समुदाय के विरूद्ध अपराध स्वरूप है। प्रदूषण रसायनिक तत्वों और ऊर्जा का रूप ले सकता है जैसे ध्वनि, ताप य प्रकाश। प्रदूषक जो कि प्रदूषण के घटक हैं, वे बाहरी तत्व/ ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से संदूषक हो सकते हैं।

26.2

1. ''प्रदूशक द्वारा भुगतान का सिद्धांत'' का निर्माण प्रदूषणकर्ता पक्ष को प्राकृतिक पर्यावरण को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए किया गया था। साधारण शब्दों में ''प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत सामान्यत् स्वीकार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए किए गए प्रबंधन की लागत को वहन करेगा।''
2. 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को **रियो घोषणा** 1992 में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया था। घोषणा का सिद्धांत 16 घोषणा करता है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित किए बिना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कि प्रदूषक प्रदूषण की लागत को वहन करेगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण पर्यावरणीय लागतों के अंतरराष्ट्रीयकरण के संवर्धन और आर्थिक साधनों के प्रयोग के संबंध में प्रयास करेंगे।

26.3

1. सही
2. सही

26.4

1. पूर्वोपाय सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य या गतिविधि जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने से पूर्व रोक देना चाहिए, चहे उनके संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्षय जुड़े ना भी होंग कि वह विशिष्ट पदार्थ या गतिविधि पर्यावरण के लिए घातक है।
2. पूर्वोपाय सिद्धांत के दो अनिवार्य तत्व हैं :
   (i) राज्य सरकार तथा सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा पर्यावरणीय उपाय जैसे राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण (Environment degradation) के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए तथा उन्हें समाप्त करना चाहिए।
   (ii) जहां पर्यावरण को गंभीर तथा अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो वहां विज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीलय निम्नीकरण के निवारण के उपायों को लंबित किए जाने का कारण नहीं बनाना चाहिए।

26.5

1. 'लोक न्यास का सिद्धांत' इस अवधारणा पर आधारित है कि कुछ संसाधनों को जन उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है, और सरकार द्वारा उन्हें युक्तिसंगत सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का "ट्रस्टी(न्यासी)" है जो प्रकृति द्वारा जन उपयोग और मनोरंजन के लिए प्रदान किए गए हैं।
2. लोक-न्यास का सिद्धांत राज्य पर तीन प्रकार के प्रतिबंध लगाता है :
   (a) सम्पत्ति न केवल जन प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए बल्कि यह जन-साधारण के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए।
   (b) सम्पति को बेचा नहीं जाना चाहिए चाहे उसका उचित मूल्य ही प्राप्त क्यों न हो रहा हो।
   (c) सम्पति का अनुरक्षण विशिष्ट प्रकार के प्रयोजनों के लिए होना चाहिए जैसे जल पर्यटन, मनोरंजन या मछली पकड़ना आदि।